भारत सरकार

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 13

उत्तर देने की तारीख : 02.02.2023

पीएमजेवीके के अंतर्गत पंजीकृत व्यक्ति

13. डॉ. हिना विजयकुमार गावीत:

प्रो. रीता बहुगुणा जोशी:

श्री कृष्णपालसिंह यादवः

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे:

डॉ. सुजय विखे पाटील:

श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल:

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पीएमजेवीके) के अंतर्गत पंजीकृत व्यक्तियों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या पीएमजेवीके उस उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल रहा है जिसके लिए इसे शुरू किया गया था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान पीएमजेवीके के लिए कितनी धनराशि जारी की गई है और इस पर वास्तविक रूप से कितनी धनराशि खर्च की गई है?

उत्तर

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री

(श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी)

(क): प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (PMJVK), एक केंद्र प्रायोजित योजना (CSS), एक क्षेत्र विकास कार्यक्रम है जिसके तहत चिन्हित क्षेत्रों में सामुदायिक बुनियादी ढाँचे और बुनियादी सुविधाओं का निर्माण किया जा रहा है। यह योजना राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र (UT) प्रशासनों के तत्वावधान में फंड शेयरिंग पैटर्न पर लागू की जा रही है और परियोजनाओं को संबंधित राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा कार्यान्वित और प्रबंधित किया जाता है। योजना के तहत निर्मित बुनियादी ढांचा क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों के लाभ के लिए है और योजना के तहत व्यक्तियों को पंजीकृत करने के लिए कोई तंत्र नहीं है।

(ख): इस योजना को मई, 2018 से प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (PMJVK) के रूप में पुनर्गठित और कार्यान्वित किया गया था, ताकि देश के 1300 चिन्हित क्षेत्रों में सामाजिक-आर्थिक मापदंडों में, यदि कोई हो, अंतराल को कम किया जा सके। नीति आयोग द्वारा वर्ष 2020-2021 में आयोजित पीएमजेवीके के एक मूल्यांकन अध्ययन में पाया गया कि यह योजना देश के चिन्हित क्षेत्रों में विकास की कमी को दूर करने में सहायक थी और इसने स्कूल के बुनियादी ढांचे, अतिरिक्त कक्षाएं, नए छात्रावास, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHCS), प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHCs), औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पॉलिटेक्निक, कौशल प्रशिक्षण केन्द्र आदि संस्थानों के उन्नयन में योगदान प्रदान की। वर्ष 2018-19 में कार्यक्रम के पुनर्गठन से महिला केंद्रित परियोजनाओं पर अधिक ध्यान देने के साथ महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। अन्य बातों के साथ-साथ, नीति आयोग द्वारा योजना के कवरेज को बढ़ाने की सिफारिश की गई थी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि परियोजनाएं सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अल्पसंख्यक समुदायों तक पहुंचें।

योजना को 15वें वित्त आयोग चक्र की अवधि के दौरान देश के सभी जिलों में लागू करने के लिए संशोधित दिशानिर्देशों के साथ वित्तीय वर्ष 2022-23 से प्रभावी रूप से अनुमोदित किया गया है।

(ग): पीएमजेवीके के लिए आवंटित बजट और पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान किया गया वास्तविक व्यय नीचे दिया गया है:

वर्ष	आबंटन (संशोधित अनुमान) (करोड़ रूपए में)	कुल व्यय (करोड़ रूपए में)
2019-20	1588.86	1698.29
2020-21	971.38	1091.94
2021*22	1199.55	1266.87
2022-23	500.00	186.87*

*30.01.2023 तक

******